

**// निविदा विज्ञापित //**

**खुशखबरी**

**खुशखबरी**

**ग्वालियर विकास प्राधिकरण की सौगात**

**माधव प्लाजा में**

**@ @किराये पर दूकानें उपलब्ध @ @**

ग्वालियर के हृदय स्थल महाराज बाड़ा के समीप ग्वालियर विकास प्राधिकरण द्वारा विशाल अत्याधुनिक सुविधा से परिपूर्ण पूर्णतः वातानुकूलित परिसर व्यवसायिक स्थल माधव प्लाजा में दुकानें/शोरूम किराये पर उपलब्ध है। दुकानों /शोरूम को किराये पर दिये जाने हेतु आवंटन बोली पद्धति द्वारा किया जायेगा। दुकानों एवं किराये के ऑफसेट मूल्य का विवरण तथा किरायेनामा की शर्तें ग्वालियर विकास प्राधिकरण की वेबसाइट [WWW.gdagwalior.in](http://WWW.gdagwalior.in) पर उपलब्ध है। बोली प्रपत्र ग्वालियर विकास प्राधिकरण की एकल खिड़की से दिनांक 08.12.2017 से दिनांक 15.03.2018 तक प्राधिकरण परिसर स्थित सेन्ट्रल बैंक ऑफ इन्डिया में 1000/- जमा कराकर प्राप्त कर दिनांक 15.03.2018 सायं 4.00 बजे तक प्राधिकरण कार्यालय में जमा कराया जाना अनिवार्य है। बोली प्रपत्र प्राधिकरण की वेबसाइट से भी डाउनलोड किया जा सकता है। बोली प्रपत्र के साथ बोली प्रस्तुतकर्ता को 25000/- (बोली प्रतिभूति) का डिमाण्ड ड्राफ्ट/बैंकर्स चैक जो की CEO, GDA के नाम देय हो जमा करना अनिवार्य है। दुकानों का विवरण /किराया एवं शर्तों आदि के संबंध में जानकारी माधव प्लाजा कस्टमर केयर काउन्टर एवं प्राधिकरण कार्यालय में कार्यालयीन समय में प्राप्त कर सकते हैं।

नोट :- निविदायें प्रत्येक माह की 15 तारीख को अवकाश होने पर अगले कार्यालयीन दिवस पर तथा माह के अन्तिम कार्यालयीन दिवस पर अपराह्न: 5.00 बजे प्राधिकरण में खोली जावेगी। जिसमें निविदादाता उपस्थित रह सकते हैं।

मुख्य कार्यपालन अधिकारी  
ग्वालियर विकास प्राधिकरण  
ग्वालियर

प्रतिलिपि:-

- 1- निज सचिव मान. आयुक्त /अध्यक्ष महोदय ग्वा.वि.प्रा. की ओर सूचनार्थ ।
- 2- निज सचिव मुख्य कार्यपालन अधिकारी ग्वा.वि.प्रा. की ओर सूचनार्थ ।
- 3- प्र. अधीक्षण यंत्री /कार्यपालन यंत्री संभाग क्र-1/प्रभारी कार्यपालन यंत्री संभाग क्र-1/2 ग्वा.वि.प्रा. ओर सूचनार्थ ।
- 4- सम्पदा अधिकारी /लेखा अधिकारी ग्वा.वि.प्रा. की ओर सूचनार्थ ।
- 5- जनसम्पर्क अधिकारी ग्वा.वि.प्रा. की ओर व्ययन नियम -2013 अनुसार निविदा प्रकाशन एवं उपरोक्त विज्ञापन प्राधिकरण की वेवसाईट पर समस्त अभिलेख के साथ अपलोड करने हेतु
- 6- साईट इंचार्ज **माधव प्लाजा** योजना की ओर भेजकर निर्देशित किया जाता है कि माधव प्लाजा स्थित कस्टमर केयर काउन्टर हितग्राहियों को रिक्त दुकानों, किराया आदि की जानकारी उपलब्ध कराना सुनिश्चित करें ।
- 7- कार्यालय कमिश्नर ग्वालियर /कार्यालय कलेक्टर ग्वालियर /कार्यालय कमिश्नर नगर निगम /तहसीलदार, तहसील कार्यालय ग्वालियर की ओर भेजकर निवेदन है कि निविदा को नोटिस बोर्ड पर चस्पा कराने की कृपा करें।
- 8- कार्यालयीन नोटिस बोर्ड पर चस्पा हेतु।
- 9- श्री भास्कर राव काले , प्रभारी मानचित्रकार की ओर भेजकर निर्देशित किया जाता है कि जनसम्पर्क अधिकारी से सम्पर्क कर उक्त विज्ञापन प्राधिकरण की वेवसाईट पर अपलोड कराकर अद्योहस्ताक्षरकर्ता को सूचित करें।
- 10- एकल खिड़की लिपिक की ओर भेजकर निर्देशित किया जाता है कि निर्धारित अवधि में आवेदन निविदा प्रपत्र वितरित करना सुनिश्चित करें।

मुख्य कार्यपालन अधिकारी  
ग्वालियर विकास प्राधिकरण  
ग्वालियर

5.12.2017

## किराये पर दिये जाने वाली ईकाईयों की शर्तः—

### किराये हेतु बोली दस्तावेज (Bid Document)

किराये पर बोली दस्तावेज में निम्न चार भाग सम्मिलित हैं :-

- भाग एक : किराये पर सम्पत्ति हेतु बोली की प्रस्तुति बावत शर्त / निर्देश।  
भाग दो : शपथ पत्र का प्रपत्र  
भाग तीन : किराये पर सम्पत्ति हेतु बोली प्ररूप  
भाग चार : अन्य शर्त

**भाग एक** : — किराये पर सम्पत्ति हेतु बोली की प्रस्तुति बावत निर्देश (Instructions for submission of Bid for Property on rent) (दस्तावेज की हस्ताक्षरित प्रति प्रत्येक पृष्ठ पर हस्ताक्षर कर सील बंद लिफाफा 'ए' अर्थात् पात्रता लिफाफे (Eligibility Envelope) में प्रस्तुत किया जाए)

विज्ञापन क्रमांक ----- दिनांक ----- के संदर्भ में भूखण्डों (Plot)/ईकाईयों (Unit) के किराये पर लेने हेतु इच्छुक व्यक्ति अपने प्रस्ताव निर्धारित की गई निम्न प्रक्रिया के अनुसार प्रस्तुत कर सकते हैं।

#### **(i) बोली तथा सम्पत्ति के किराये पर लेने बावत पात्रता (Eligibility for Bid and Allotment of Property on rent)**

1. विज्ञापन में दर्शाई गई प्रत्येक सम्पत्ति को किराये पर देने हेतु केवल एक बोली प्ररूप ही लागू होगा।
2. यदि बोली प्रस्तुतकर्ता (Bidder) विज्ञापन में दर्शाई गई एक से अधिक सम्पत्तियों हेतु बोली प्रस्तुत के इच्छुक हो तो उसे पृथक, बोली प्ररूप क्रय करने होंगे।
3. ऐसे इच्छुक बोली प्रस्तुतकर्ता जो बेवसाइट से बोली प्ररूपों को डाउनलोड करते हों, उनके द्वारा ऐसी समस्त सम्पत्तियों जिनके लिए बोली प्रस्तुत की जा रही है, निविदा दस्तावेज शुल्क के लिये सम्पत्तियों के लिये पृथक प्रारूप के साथ पृथक बोली प्रस्तुत की जाएगी।
4. किसी अवयस्क (Minor) द्वारा प्रस्तुत की गई बोली को मान्य नहीं किया जाएगा तथा उन्हें अपात्र घोषित कर दिया जाएगा।

#### **(ii) बोली दस्तावेजों के प्रस्तुतिकरण के लिए प्रक्रिया (Procedure for Submission of Bid Documents)**

1. बोली प्रस्तुतकर्ताओं को अपनी बोली द्वि-लिफाफा पद्धति (Two Envelope System) के माध्यम से प्रस्तुत करने की अपेक्षा की जाती है। ("लिफाफा ए-पात्रता संबंधी लिफाफा (Envelope A-Eligibility Envelope)" बोली को प्रक्रिया बद्ध करने और पात्रता के लिए आवश्यक दस्तावेजों की प्रस्तुती के लिये तथा "लिफाफा बी-निविदा लिफाफा (Envelope B-Bid Envelope)" विहित बोली प्ररूप में बोली की प्रस्तुति हेतु।
2. उनके लिए जो प्राधिकरण से बोली प्ररूपों को क्रय करते हैं, उन्हें प्राधिकरण द्वारा तीन अलग-अलग लिफाफे प्रदान किये जाएंगे जिन्हें "लिफाफा ए पात्रता संबंधी लिफाफा (Envelope A-Eligibility Envelope)" "लिफाफा बी बोली लिफाफा (Envelope B-Bid Envelope)" तथा तृतीय लिफाफा (आवरण लिफाफा) (Third Envelope Cover Envelope) के रूप में चिन्हित किया जाएगा।
3. यदि बोली प्रस्तुतकर्ता ने प्रपत्र को प्राधिकरण की बेवसाइट से डाउनलोड किया हो तो बोली प्रस्तुतकर्ता को तीन पर्याप्त आकार के पृथक लिफाफों की व्यवस्था करनी होगी ताकि प्रस्तुत किये जाने वाले दस्तावेजों को सुविधाजनक ढंग से समायोजित किया जा सके, इन्हें सील बंद किया जा सके तथा इन्हें "लिफाफा ए-पात्रता

लिफाफा”, “लिफाफा बी– बोली लिफाफा” तथा आवरण लिफाफा (Cover Envelope) अंकित करते हुए प्रत्येक लिफाफे पर नाम, विज्ञापन क्रमांक ----- तथा ..... एवं सम्पत्ति क्रमांक/प्रकार के साथ “योजना ..... के अंतर्गत ..... के आवंटन हेतु बोली दर्शाते हुए इसे मुख्य कार्यपालन अधिकारी, ग्वालियर विकास प्राधिकरण को संबोधित करते हुए प्रेषित किया जाएगा।

4. इच्छुक व्यक्तियों को लिफाफा ए तथा लिफाफा बी में निम्न रूप से निर्धारित की गई प्रक्रिया अनुसार जानकारी प्रदान करने और उसे उचित रूप से सील बंद करने की अपेक्षा की जाती है। लिफाफा ए तथा लिफाफा बी को आवरण लिफाफे में रखकर इसे सील बंद (सील) किया जाएगा।

### (iii) बोली की वैधता, बोली प्रतिभूति तथा बोली प्रतिभूति का समपहरण (Validity of Bid. Security and For feiture of Bid Security)

1. बोली प्राप्ति की निर्धारित तिथि से 90 दिवस तक वैध रहेंगी।
2. बोली प्रस्तुतकर्ताओं को रु. 25000/- का डिमान्ड ड्राफ्ट /बैंकर्स चैक C.E.O. , G.D.A. Gwalior के नाम बोली प्रतिभूति (Bid security) प्रस्तुत करनी होगी। बोली स्वीकृति होने की दशा में उक्त राशि धरोहर राशि में समायोजित हो जायेगी।
3. अन्य बोली प्रस्तुतकर्ता, जिनकी निविदा स्वीकार न की गई हों, की बोली प्रतिभूति बोली लिफाफा खोलने की तारीख से पन्द्रह दिन के भीतर लौटा दी जाएगी।
4. ऐसे बोली प्रस्तुतकर्ता जिसका प्रस्ताव प्राधिकरण द्वारा स्वीकार कर लिया गया हो, तथा जो या तो प्रस्ताव को वापस लेने का इच्छुक हो अथवा जिसके द्वारा बोली दस्तावेज में भुगतान के निबंधन तथा शर्तों के अनुसार निर्धारित समयावधि के भीतर बकाया राशि का भुगतान करने में असमर्थ रहा हो अथवा जिसके द्वारा पात्रता से संबंधित तथ्यों/जानकारी के संबंध में या अन्यथा अपना अभ्यावेदन प्रस्तुत किया जाना पाया गया हो, की बोली प्रतिभूति समपहृत कर ली जाएगी।

### (iv) प्रस्तुत की जाने वाली जानकारी/अभिलेख (Information/Documents to be Provided) लिफाफा ए-पात्रता लिफाफा (Envelope A-Eligibility Envelope)

1. ऐसे प्रकरण में जहां बोली –प्ररूप को प्राधिकरण की वेबसाईट से डाउनलोड किया गया हो, या बोली प्रस्तुतकर्ता को बोली दस्तावेज शुल्क (Bid Document Fee) (गैर वापसी योग्य) हेतु डिमान्ड ड्राफ्ट/पे आर्डर मुख्य कार्यपालन अधिकारी ग्वालियर विकास प्राधिकरण के पक्ष में प्रस्तुत करना होगा, अथवा जहां बोली प्ररूप प्राधिकरण कार्यालय से क्रय किया गया हो वहां बोली दस्तावेज क्रय के लिये किये गये नगद भुगतान की मूल रसीद प्ररूप की प्रति
2. बोली प्रतिभूति (Bid Security) हेतु 25000/- राशि का मुख्य कार्यपालन अधिकारी , ग्वालियर विकास प्राधिकरण के पक्ष में देय डिमान्ड ड्राफ्ट/पे आर्डर)।
3. निम्नानुसार अनिवार्य रूप से प्रस्तुत किये जाने वाले अभिलेख भी संलग्न किये जाएंगे।

#### अ. वैयक्तिक/संयुक्त आवेदकों हेतु (For Individual/Joint Applicants)

- (एक) ऐसा व्यक्ति जो आवेदक की ओर से बोली प्रस्तुत कर रहा हो उसे बोली प्रस्तुत करने हेतु प्राधिकृत किये जाने का शपथ-पत्र जिसमें बोली प्रस्तुत करने के लिए प्राधिकृत व्यक्ति का नाम तथा पता, प्राधिकृत व्यक्ति से उसका संबंध तथा वे कारण, जिनके द्वारा उसे प्राधिकृत किया जाना आवश्यक हो गया हो, (यदि यह लागू हो) स्पष्ट रूप से निर्दिष्ट हो।
- (दो) स्वयं/प्राधिकृत हस्ताक्षरकर्ता द्वारा संलग्न प्रपत्र के अनुसार शपथ-पत्र (Affidavit) (भाग-दो)।
- (तीन) सम्पत्ति हेतु बोली के प्रस्तुतिकरण हेतु निर्देशों की हस्ताक्षरित प्रति (भाग-एक) और सम्पत्ति के आवंटन हेतु निबंधन एवं शर्तें (भाग-तीन)
- (चार) अन्य कोई अभिलेख (जैसा कि प्राधिकरण द्वारा निर्दिष्ट किया जाए)

#### ब. किसी विधि के अंतर्गत रजिस्ट्रीकरण कम्पनी/संस्था/इकाई हेतु (For Company/Firm/Entity registered under any Law)

- (एक) इकाई द्वारा बोली हेतु आवेदन प्रस्तुत करने तथा इकाई की ओर से प्राधिकृत व्यक्ति को हस्ताक्षर करने हेतु नामांकित किये जाने संबंधी संकल्प की प्रति।
- (दो) बोली प्रस्तुत करने वाले प्राधिकृत व्यक्ति द्वारा संलग्न प्रपत्र (भाग-दो) के अनुसार शपथ-पत्र।

(तीन) इकाई के निगमन (Incorporation) संबंधी प्रमाण (नियमावली संबंधी (ज्ञापन-पत्र)/भागीदारी विलेख (Partnership Deed)/न्यास विलेख (Trust Deed)/सोसाइटी के रजिस्ट्रीकरण अभिलेख आदि) (Documents of Registration of Society, etc.)

(चार) संपत्ति के लिये बोली की प्रस्तुति हेतु निर्देशों की हस्ताक्षरित प्रति (भाग-एक) तथा संपत्ति को किराये देने हेतु निबंधन तथा शर्तें (भाग-तीन)

(पांच) अन्य कोई अभिलेख (जैसा कि प्राधिकरण द्वारा इस संबंध में निर्दिष्ट किया जाए)

4. वांछित अर्हकारी जानकारी/अभिलेखों, बोली दस्तावेज शुल्क तथा निविदा प्रतिभूति के बिना प्रस्तुत निविदायें को अस्वीकार किया जाएगा। तथापि, प्राधिकरण अपने अनन्य विवेकाधिकार के अनुसार भी किसी भी जानकारी के बारे में मांग कर सकेगा, जैसा कि वह अभिलेखों के सत्यापन/उनकी पर्याप्तता के बारे में पुष्टि करने बावत और/या उनके सही होने के बारे में आवश्यक समझे।

5. लिफाफा 'ए' में वित्तीय प्रस्ताव (Financial Offer)/ बोली से संबंधित कोई जानकारी सम्मिलित नहीं की जाएगी तथा लिफाफा 'ए' में यदि ऐसी कोई जानकारी प्रस्तुत की, जाती है तो ऐसे प्रस्ताव/ बोली को अस्वीकार कर दिया जाएगा।

लिफाफा 'बी'— बोली लिफाफा (Envelope B-Bid Envelope)

लिफाफा 'बी' में केवल बोली प्रस्तुतकर्ता/प्राधिकृत हस्ताक्षरकर्ता द्वारा विधिवत भरा हुआ तथा हस्ताक्षरित बोली /प्ररूप में सम्मिलित होगी। (भाग-चार)।

**(v) बोली प्रस्तुति की अंतिम तिथि तथा बोली प्रस्तावों को खोलने की प्रक्रिया (Bid Due Date and opening of Bids)**

1. बोली को 1, रवि नगर स्थित प्राधिकरण कार्यालय में सम्पदा अधिकारी के समक्ष दिनांक .....को सांय 5.00 बजे तक प्रस्तुत किया जा सकता है।
2. बोली खोलने के प्रथम चरण में केवल पात्रता लिफाफे (Eligibility envelope) को ही खोला जाएगा तथा प्राधिकरण बोली प्रस्तुतकर्ताओं द्वारा प्रस्तुत किये गये अभिलेखों का परीक्षण करेगा।

**(vi) उच्चतम बोली प्रस्तुतकर्ता की घोषणा (Declaration of Highest Bidder)**

1. सम्पत्ति के लिये आरक्षित मूल्य से नीचे प्रस्तुत की गई दरों पर बोली को स्वीकार नहीं किया जाएगा।
2. सामान्यतः ऐसे उच्चतम बोली प्रस्तुतकर्ता को, जो आरक्षित मूल्य से अधिक की दर प्रस्तुत करता है, निविदा लिफाफों को खोलने पर सक्षम प्राधिकारी की स्वीकृति के अध्याधीन रहते हुए चयनित बोली प्रस्तुतकर्ता घोषित किया जाएगा।
3. प्रस्तुत की गई बोलियों का अंतिम परिणाम बोली लिफाफा खोलने के लगभग पन्द्रह दिन के भीतर घोषित किया जाएगा तथा इसे प्राधिकरण के सूचना-पटल के साथ-साथ उसकी बेवसाईट पर भी प्रदर्शित किया जाएगा।
4. प्राधिकरण के पास किसी भी बोली /समस्त बोली को स्वीकार या अस्वीकार करने का अधिकार सुरक्षित रहेगा।

**(vii) पते में परिवर्तन तथा बोली प्रक्रिया की अद्यतन स्थिति का पता लगाना (Change of Address and tracking of Bid)**

1. बोली प्रस्तुतकर्ता यह सुनिश्चित करेगा कि बोली प्रस्तुतकर्ता से पत्र व्यवहार हेतु उसके पते में किसी परिवर्तन के बारे में प्राधिकरण को लिखित में संसूचित किया जाएगा।
2. प्राधिकरण किसी भी प्रकार के पते में परिवर्तन के फलस्वरूप या किसी प्रकार के डाक संबंधी विलम्ब के कारण किसी कार्यवाही में विलम्ब के लिये किसी रीति में उत्तरदायी नहीं होगा।
3. बोली प्रस्तुतकर्ताओं को परामर्श दिया जाता है कि वे प्राधिकरण के सूचना पटल/बेवसाईट पर निविदा के संबंध में किसी भी सूचना के बारे में स्वयं को अद्यतन रखें।

भाग चार : अन्य शर्तें :-

1. यहकि, बोली प्रस्तुतकर्ता को किराया भवन स्वामी के स्वत्व स्वामित्व एवं आधिपत्य का प्रकोष्ठ को यथा नियत तिथि में निर्धारित किराया जमा कराना होगा।
2. यहकि, किरायेदारी वाले प्रकोष्ठ का आधिपत्य किरायेदार द्वारा किरायेदारी वाले प्रकोष्ठ में स्वयं अपना कार्य/व्यवसाय संचालित करेगा तथा किरायेदारी वाले प्रकोष्ठ की पूर्ण रूप से देखभाल एवं संधारण करेगा।
3. यहकि, भवन स्वामी तथा किरायेदार के मध्य किराये की अवधि तीन वर्ष के लिये होगी।
4. यह कि बोली स्वीकृत होने के बाद तथा किरायेनामे का अनुबंध सम्पादन के पूर्व बोली दाता द्वारा प्रस्तुत की गई मासिक किराये की राशि का तीन गुना राशि धरोहर राशि के रूप में जमा करानी होगी। उक्त धरोहर राशि को किरायेनामा समाप्ति के पश्चात् किरायेदार द्वारा आवेदन प्रस्तुत करने पर वापिस कर दी जावेगी। बशर्ते कि किरायेदार पर कोई बकाया किराया अथवा अन्य कोई राशि वसूली योग्य नहीं हो।
5. यहकि, किरायेदार द्वारा भवनस्वामी को प्रत्येक माह की एक तारीख से लेकर पांच तारीख तक उपरोक्तानुसार एडवान्स में प्रत्येक माह किराये की धन राशि अदा करेगा यदि किरायेदार द्वारा लगातार 1 माह तक किराये की अदायगी नहीं की जाती है तो भवनस्वामी को पूर्ण अधिकार होगा कि चढ़े हुए किराये पर 1/- रूपये प्रतिमाह प्रति सेकड़ा के हिसाब से व्याज वसूल कर लेवें।
6. यहकि, किरायेदार किरायेदारी वाली सम्पत्ति का आधिपत्य अनुबंध तिथि अनुसार भवनस्वामी को वापिस सौंप देगा और किरायेदार किराये की चुकता रसीद भवनस्वामी से प्राप्त कर लेगा। आपसी सहमति से उक्त किरायेदारी की अवधि दो बार त्रिवर्षीय कालाविधियों के लिये 10% बढ़ोत्तरी के साथ बढ़ाई जा सकेगी जिसकी लिखापट्टी तत्समय सम्पादित कराई जावेगी।
7. यहकि, उक्त किराये की धनराशि में नल व बिजली चार्जज, बिल्डिंग का रखरखाव भुल्क/संधारण भुल्क आदि भागमिल नहीं है और नल व बिजली चार्जज पक्षकार क्रमांक 1 पृथक से मीटर रीडिंग के मुताबिक अदा करेगा। पक्षकार क्रमांक 1 बिल्डिंग का रखरखाव भुल्क/संधारण भुल्क, जो भी पक्षकार क्रमांक 2 द्वारा निर्धारित होंगे, पृथक से पक्षकार क्रमांक 2 को आवेक तौर पर मासिक अदा करेगा तथा रसीद प्राप्त करेगा।
8. यहकि, किरायेदारीवाले प्रकोष्ठ का मानचित्र इस लिखतम किरायानामा विलेख के साथ संलग्न किया जावेगा। जिसमें किरायेदारीवाले प्रकोष्ठ को लाल रेखाओं के अन्दर दर्शाया जायेगा तथा संलग्न मानचित्र में किरायेदारी वाले प्रकोष्ठ की चतुःसीमा एवं पैमाइल प्रदर्शित की जावेगी तथा संलग्न मानचित्र इस लिखतम किराये नामा विलेख का एक रहेगा।
9. यहकि, किरायेदारीवाले प्रकोष्ठ का कार्पेट एरिया निर्धारित है।
10. यहकि, किरायेदार तथा भवनस्वामी के मध्य यह भी तय हुआ है कि यदि किरायेदार द्वारा उक्त अनुबंध पत्र में वर्णित भातों का उल्लंघन किया जाता है या बिना भवनस्वामी की लिखित अनुमति के किरायेदारी वाले प्रकोष्ठ में किसी भी प्रकार की तोड़ फोड़ की जाती है या किरायेदार द्वारा किराये की अदायगी में एक माह से अधिक किसी भी प्रकार की समय की चूक की जाती है तो भवनस्वामी को पूर्ण अधिकार होगा कि बिना सूचना दिये किरायेदारीवाले प्रकोष्ठ का रिक्त आधिपत्य किरायेदार से वापिस प्राप्त कर लेगा।
11. यहकि, किरायेदार किरायेदारीवाले प्रकोष्ठ में किसी भी संस्था व्यक्ति को किसी भी किरायेदार आबाद नहीं करेगा तथा किरायेदार उक्त किरायेदारीवाले प्रकोष्ठ की पूर्ण रूप से देखभाल यानी पुताई, सफाई आदि करावेगा तथा किरायेदार उक्त किरायेदारीवाले प्रकोष्ठ में ऐसा कोई

कार्य नहीं करेगा, जिससे भवनस्वामी की उक्त प्रकोष्ठ एवं उक्त भवन की किसी भी सम्पत्ति को किसी भी प्रकार की क्षति पहुंचे। यदि किरायेदार को उक्त प्रकोष्ठ में किसी भी प्रकार की मरम्मत आदि कराने की आवश्यकता हो तो भवनस्वामी की सहमति प्राप्त कर मरम्मत का कार्य करवा सकेगा।

12. यहकि, किरायेदार उक्त वर्णित प्रकोष्ठ को ..... कार्य/व्यवसाय प्रारम्भ करने के लिये भाड़े पर प्राप्त कर रहा है। जिसमें कि किरायेदार म.प्र. विद्युत मण्डल/ग्वालियर विकास प्राधिकरण से भार अनुसार विद्युत कनेक्टान स्वयं लगाएगा तथा खपत अनुसार विद्युत बिल राशि का भुगतान करने की समस्त जिम्मेदारी किरायेदार की रहेगी। तथा भवनस्वामी द्वारा यदि जनरेटर लगाया जावेगा तो किरायेदार द्वारा अपने उपभोग की लाइट लोड के उपयोग के हिसाब से डीजल रनिंग खर्च का भुगतान करना होगा।
13. यहकि, किरायेदार प्रकोष्ठ के फ्रन्ट में उपलब्ध स्थान पर साईन बोर्ड लगा सकेगा।
14. यहकि, किरायेदार उक्त संपत्ति में अपना फर्नीचर आदि इस प्रकार कायम करेंगे जिसमें भवन की किसी, फर्नीचर, छत या बीम को किसी प्रकार की क्षति न पहुंचे। भवन में किरायेदार के किसी भी कार्य से किसी भी प्रकार की क्षति होने पर उसकी भरपाई की संपूर्ण जिम्मेदारी किरायेदार की होगी।
15. यहकि, किरायेदारी समाप्ति के समय उक्त वर्णित प्रकोष्ठ खाली कर जिस अवस्था में किरायेदार ने भवनस्वामी से कब्जा प्राप्त किया था, उसी अवस्था में प्रकोष्ठ का खाली कब्जा भवनस्वामी को वापस सौंप देगा तथा किरायेदारी का समस्त हिसाब चूकता कर चूकता रसीद प्राप्त कर सकता है।
16. यहकि, किरायेदार किसी भी प्रकार का स्थायी निर्माण प्रकोष्ठ के अंदर नहीं करेगा। किरायेदार केवल भवनस्वामी की पूर्व लिखित स्वीकृति पर ही अस्थायी स्ट्रक्चर/पार्टी वॉल आदि खड़ा कर सकेगा।
17. यहकि, प्रकोष्ठ में रंग रोगन, पुताई आदि की जिम्मेदारी किरायेदार की होगी।
18. यहकि, इस विलेख के पंजीकरण में होने वाले स्टाम्प एवं रजिस्ट्रेशन शुल्क का भुगतान किरायेदार द्वारा किया जा रहा है।
19. यहकि, किरायेदार तथा भवन स्वामी के मध्य यह भी तय होगा कि उक्त बिल्डिंग/परिसर में भामलाती पार्किंग/बैसमेन्ट एवं अपार्टमेन्ट के आगे खुली भूमि का उपयोग प्रकोष्ठों के स्वामीगण एवं भवन में आने वाले ग्राहकों द्वारा भामलाती रूप से प्राधिकरण द्वारा निर्धारित नियमानुसार किया जा सकेगा।
20. यह कि किरायेदार पर किसी भी बकाया राशि की वसूली भू-राजस्व की बकाया वसूली की भांति भवनस्वामी द्वारा की जा सकेगी तथा किरायेदारी समाप्ति के किरायेदार द्वारा सम्पत्ति खाली नहीं करने पर दो गुणा किराया वसूला जा सकेगा और भू-राजस्व संहिता 1959 की धारा 248 अन्तर्गत कार्यवाही की जाकर सम्पत्ति से बेदखली एवं अर्थदण्ड की कार्यवाही की जा सकेगी।
21. किसी सिविल वाद की स्थिति में ग्वालियर जिला न्यायालय का क्षेत्राधिकार ही मान्य होगा।

अतः यह है कि उक्त किरायेदारी वाली शर्तों को मैंने अपनी स्वेच्छा से व सचेतावस्था में बिना किसी बल प्रयोग के व बिना किसी नो पत्ते के सुनकर, समझकर, पढ़कर रूबरू गवाहान अपने हस्ताक्षर कर सम्पादित कर दिया कि प्रमाण रहें व समय पर काम आवें। इति दिनांक.....  
.....



भाग-दो : शपथ पत्र हेतु प्रपत्र (Format for affidavit)

(सील बंद लिफाफे 'ए' पात्रता लिफाफे में प्रस्तुत किया जाए)

(शपथ-पत्र को गैर-न्यायिक स्टाम्प (Non-judicial stamps) पर विधिवत नोटरी प्रमाणीकरण पश्चात प्रयोज्य दरों के अनुसार प्रस्तुत किया जाए)

शपथ-पत्र (Affidavit)

(प्राधिकरण की सम्पत्तियों को किराये पर देने संबंध में अपेक्षित)

1. मैं, अभिसाक्षी शपथ पर निम्नानुसार कथन करता/करती हूँ कि :-  
मेरा नाम : .....  
पिता/पति का नाम : .....  
व्यवसाय : .....  
आयु : .....  
वार्षिक आय : .....  
पूर्ण पता, मोबा.अथवा फोन न. : .....  
आधार नम्बर : .....
2. यहकि, मैं, ..... (नाम) .....( बोली प्रस्तुतकर्ता का नाम) की ओर से प्राधिकृत हस्ताक्षरकर्ता हूँ तथा मुझे इकाई के संकल्प के अनुसार, ..... की ओर से बोली प्रस्तुत करने हेतु प्राधिकृत किया गया है (ऐसे प्रकरण में लागू होगा जहां बोली प्रस्तुतकर्ता कोई कम्पनी/फर्म/इकाई है।)
3. यहकि, मैं ..... नाम ..... (प्राधिकृत व्यक्ति का नाम) को संलग्न शपथ-पत्र के अनुसार मेरी ओर से बोली प्रस्तुत करने हेतु प्राधिकृत कर रहा हूँ (ऐसे प्रकरण में लागू होगा जहां बोली प्रस्तुतकर्ता ने किसी अन्य व्यक्ति की बोली प्रस्तुतकर्ता की ओर से बोली प्रस्तुत करने हेतु प्राधिकृत किया है)
4. यहकि, बोली के अंतर्गत प्रदान की गई समस्त जानकारी सही है तथा इसमें किन्हीं भी सारभूत तथ्यों को छिपाया नहीं गया है।
5. यहकि, मैंने बोली संबंधी निबंधन तथा शर्तों तथा सम्पत्ति के व्ययन के बारे में प्राधिकरण के नियमों को भली भांति समझ लिया है तथा ये निबंधन तथा शर्तें/नियम मुझे पूर्ण रूप से स्वीकार्य हैं।

6. यहकि, यदि बोली के अंतर्गत मेरे द्वारा प्रस्तुत की गई किसी जानकारी को गलत/दुर्व्यपदेशनकारी पाया जाता है, तो प्राधिकरण को मेरी बोली को अस्वीकार करने तथा प्रतिभूति राशि को समपहत करने का अधिकार होगा तथा तत्पश्चात इस बोली के अंतर्गत सम्पादित किरायेनामा को भी रद्द करने का अधिकार होगा।
7. यहकि, यह शपथ-पत्र प्राधिकरण द्वारा विज्ञापित सम्पत्ति अर्थात् ..... को किराये पर लेने हेतु बोली प्रस्तुत करने के लिए मेरे द्वारा प्राधिकरण को प्रस्तुत किया जा रहा है।

दिनांक :

**अभिसाक्षी**  
( बोली प्रस्तुतकर्ता/प्राधिकृत हस्ताक्षरकर्ता)

:: सत्यापन ::

मैं, ..... पिता/पति श्री ..... सत्यापित करता हूं/करती हूं कि मेरे द्वारा प्रस्तुत की गई उपरोक्त जानकारी मेरी व्यक्तिगत जानकारी के अनुसार सत्य है तथा इसमें कोई भी जानकारी न तो असत्य है और न ही इसमें कुछ छिपाया गया है। यह सत्यापन आज दिनांक ..... को किया गया।

**अभिसाक्षी**  
( बोली प्रस्तुतकर्ता/प्राधिकृत हस्ताक्षरकर्ता)

1. जो लागू न हो तथा अनावश्यक हो, उसे शपथ-पत्र में शामिल न करें।
2. ऊपर दिये गये प्रपत्र के अलावा किसी अन्य प्रारूप में प्रस्तुत किया गया शपथ-पत्र मान्य नहीं होगा।

## भाग तीन : किराए पर सम्पत्ति हेतु बोली प्ररूप (Bid Form)

किराए पर सम्पत्ति हेतु बोली प्ररूप (इसे सील बंद लिफाफा 'बी' में प्रस्तुत किया जाए)


विज्ञापन क्रमांक .....  
बोली प्ररूप क्रमांक .....

दिनांक -----  
मूल्य रूपये 1000/-  
अहस्तान्तरणीय (Not Transforable)

प्रति,

**मुख्य कार्यपालन अधिकारी**  
ग्वालियर विकास प्राधिकरण  
ग्वालियर (मध्य प्रदेश)

किराये पर सम्पत्ति हेतु बोली प्रस्तुतकर्ता का नाम .....



महोदय,

आपके विज्ञापन क्रमांक ----- दिनांक ----- के संदर्भ में, जो ..... योजना के अंतर्गत प्लेट/इकाईयों को किराये पर आवंटन के लिए है तथा जिसे ..... अधिसूचित किया गया है, मैं/हम/ मेरी/हमारी संस्था द्वारा प्रदत्त अधिकारों के आधार पर तथा मैं/हम प्राधिकरण द्वारा जारी बोली प्ररूपों सभी निबंधनों तथा शर्तों से आबद्ध होने की सहमति व्यक्त करता हूँ/करते है। इस बोली प्ररूप में दर्शित इकाई को किराये पर लेना चाहता हूँ/चाहते है। मैं/हम पूर्णतया विधिवत स्वीकार करता हूँ/करते है कि मेरे/हमारे द्वारा बोली दस्तावेज के समस्त निबंधनों तथा शर्तों को पढ़ लिया गया है, स्पष्टतया समझ लिया गया है तथा उनका पालन करने हेतु अपनी/हमारी सहमति व्यक्त करता हूँ/करते है, जो प्राधिकरण की बोली –प्रक्रिया तथा इकाई को किराये की शर्तों तक सीमित न होकर, उसे सम्मिलित करते हुए होंगे। मैं/हम यहां पर इस बोली के साथ निबंधन तथा शर्तों की विधिवत हस्ताक्षरित प्रतिलिपि संलग्न कर रहा हूँ/रहे है। मैं/हम अपने बारे में वांछित जानकारी निम्नानुसार प्रस्तुत कर रहा हूँ /रहे हैं :-

आवेदक के मूल ब्यौरे :

01	एकल अथवा संयुक्त बोली प्रस्तुतकर्ता का नाम	1. .... 2. .... (संयुक्त आवेदको के प्रकरण में) 3. .... (संयुक्त आवेदकों के प्रकरण में)
02	बोली प्रस्तुतकर्ता संस्था/कम्पनी के निदेशक/ निर्देशकों/का नाम (कम्पनी/संस्था/ किसी अन्य इकाई के प्रकरण में)	..... ..... .....
03	बोली प्रस्तुतकर्ता के पिता/पति का नाम	.....
04	पत्र व्यवहार का पूर्ण पता दूरभाष/मोबाईल ई-मेल पता	..... ..... (कार्यालय).....(निवास) ..... मोबा. नम्बर .....

हमने यह बोली प्ररूप ग्वालियर विकास प्राधिकरण के कार्यालय से जारी रसीद क्रमांक .....दिनांक..... के माध्यम से प्राप्त किया गया है (नगद भुगतान की मूल रसीद लिफाफा 'ए' में प्रस्तुत की गई है)। हमारे द्वारा यह बोली प्ररूप प्राधिकरण की बेवसाइट से डाउनलोड किया गया है तथा बोली प्ररूप के मूल्य स्वरूप मेरे/हमारे द्वारा बैंक ड्राफ्ट/बैंकर्स चेक क्रमांक .....दिनांक ..... राशि रुपये ..... (शब्दों और अंको में दर्शाये) लिफाफा 'ए' में प्रस्तुत कर दिया गया है।

मैं/हम इस बोली को स्पष्ट समझ के साथ प्रस्तुत कर रहा हूँ/रहे है कि मेरी/हमारी बोली इसके प्रस्तुत करने की तारीख से 90 दिन तक की अवधि तक विधिमान्य रहेगी।

मैं/हम अपनी बोली के संबंध में बोली प्रतिभूति राशि के रूप में बैंक ड्राफ्ट/बैंकर्स चेक क्र. ....दिनांक ..... रुपये ..... (शब्दों और अंको में दर्शाए) प्राधिकरण के पक्ष में प्रस्तुत कर रहे है तथा इसे लिफाफा 'ए' में प्रस्तुत किया गया है। मुझे/हमें यह भी संज्ञान है कि हमारे द्वारा प्रस्तुत की जा

रही बोली अप्रतिसंहरणीय (Irrevocable) है तथा यदि मैं/हम इसे प्रतिसंहत करता हूँ/करते हैं तो इस बोली के साथ जमा की गई बोली प्रतिभूति राशि रूपये .....(शब्दों और अंको में दर्शाए) समपहृत कर ली जाएगी।

मैं/हम यहां यह भी स्वीकार करता हूँ/करते हैं कि लिफाफा 'ए' में प्रदत्त समस्त जानकारी सत्य तथा सही है तथा प्रदत्त की गई जानकारी के बारे में मैं/हम पूर्ण दायित्व लेता हूँ/लेते हैं। मैं/हम यह सहमति भी प्रदान करता हूँ/करते हैं कि प्राधिकरण को ऐसी अतिरिक्त जानकारी, जैसी कि आवश्यक हो अथवा बोली को पूरक किये जाने के संबंध में अथवा इसे सत्यापन किये जाने बावत चाही जाए, मेरे/हमारे द्वारा उपलब्ध कराई जाएगी। मैं/हम यह भी स्वीकार करता हूँ/करते हैं कि मैं/हम इस बोली की अर्हताओं के अनुसार इस बोली के लिए अपना प्रस्ताव प्रस्तुत करने की योग्यता धारित करता हूँ/करते हैं। मुझे/हमें यह भी अवगत है कि मेरे/हमारे द्वारा बोली में प्रस्तुत की गई जानकारी गलत/तथ्यों का गलत ढंग से प्रस्तुतिकरण (misrepresentation of facts) पाया जाता है अथवा यदि मैं/हम भुगतान की शर्तों के अनुसार राशि जमा करने में असफल रहते हैं तो प्राधिकरण को हमारे द्वारा प्रस्तुत बोली को निरस्त करने का तथा बोली प्रतिभूति राशि को समहृत करने का अधिकार होगा।

मैं/हम यह भी स्वीकार करता हूँ/करते हैं कि प्राधिकरण इस बोली को किसी भी समय निरस्त करने का अधिकार सुरक्षित रखता है तथा न ही वह किसी बोली को स्वीकार करते के लिए बाध्य है तथा न ही बोली प्रस्तुतकर्ताओं को बोली प्रस्तुत करने के लिये आमंत्रित किये जाने हेतु बाध्य है तथा यह भी कि वह बिना कोई कारण दर्शाये अथवा अन्यथा हमारी बोली को रद्द कर सकता है तथा एतद्द्वारा किसी भी कारण से भले वह जो भी हो, से इसे चुनौती प्रदान करने संबंधी हमारे अधिकार के अधित्यंजन (waive) का अधिकार रखता है।

मैं/हम यह भी प्रमाणित करता हूँ/करते हैं कि देश की सुरक्षा तथा अखण्डता से भिन्न ऐसे मामलों में जो मुझे/हमें न तो किसी न्यायालय द्वारा दोषी ठहराया गया है तथा न ही किसी नियामक प्राधिकरण ने मुझे/हमें आरोपी ठहराया है तथा न ही मेरे/हमारे विरुद्ध कोई प्रतिकूल आदेश पारित किये हैं जो इस बोली के लिये आवदेन किये जाने बावत मेरी/हमारी योग्यता के बारे में किसी प्रकार का संदेह प्रकट कर सके या किसी गंभीर अपराध से संबद्ध हो जो समाज की नैतिक भावना का उल्लंघन करता हो। मैं/हम यह भी प्रमाणित करता हूँ/करते हैं कि देश की सुरक्षा तथा अखण्डता से संबंधित मामलों में सरकार के किसी अभिकरण द्वारा मुझे/हमें न तो कोई आरोप पत्र जारी किया है तथा न ही किसी न्यायालय द्वारा मेरे/हमारे द्वारा किये गये किसी अपराध के संबंध में मुझे/हमें दोषी ठहराया गया है।

मैं/हम यह भी स्वीकार करता हूँ/करते हैं कि मैं/हम किराये पर आवंटित फ्लेट/इकाई का उपयोग **किरायानामा** की निबंधनों तथा शर्तों एवं राज्य के और/या परिनियम के अंतर्गत गठित किसी अन्य अभिकरण की प्रयोज्य विधियों तथा विनियमों का कड़ाई से पालन करूंगा/करेंगे। मैं/हम ऐसे **किराया अनुबंध की** समस्त निबंधनों तथा शर्तों से सहमति भी व्यक्त करता/करते हैं जिसका निष्पादन फ्लेट/इकाई को **किराये पर दिये जाने** पर किया जाएगा जिसमें सम्मिलित है जिस तक सीमित नहीं है **मासिक भाड़ा** का भुगतान प्राधिकरण के **किरायेनामे को** को रद्द करने संबंधी अधिकार प्रयोज्य विकास नियंत्रण विनियम, भवन निर्माण उपविधियों (Building bye-laws), भवन निर्माण विनियमों का अनुसरण शुल्क दरों तथा करों के भुगतान के दायित्व जैसा कि अंतर्गत प्रयोज्य किसी विधि के अंतर्गत सम्पत्ति को लागू हो।

मैं/हम सम्पत्ति के बारे में मेरी/हमारी बिना शर्त तथ अनर्हित (unconditional and unqualified) अपनी बोली निम्नानुसार प्रस्तुत करता हूं/करते हैं।

ईकाई का प्रकार	ईकाई का क्रमांक	ईकाई का कार्पेट एरिया वर्ग मी. में	बोली दाता द्वारा प्रस्तुत मासिक किराया बोली राशि (अंको में)	बोली दाता द्वारा प्रस्तुत मासिक किराया बोली राशि (शब्दों में )

मैं/हम यह भी समझता हूं/समझते हैं कि संपत्ति क्रमांक तथा बोली दरों का अंकों तथा शब्दों में उल्लेख किया जाना बोली को स्वीकार किये जाने हेतु अनिवार्य है।

मैं/हम यह भी समझता हूं/समझते हैं कि बोली प्रपत्र में नाम और/सम्पत्ति संख्या में उपरिलेखन (overwriting) या त्रुटि या परिवर्तन होने पर बोली प्रस्ताव को अविधिमान्य बना देगा।

उपरोक्त साक्ष्य में, मैं/हम बोली प्रपत्र की शर्तों के अधीन एवं के अनुसार सम्पत्ति के किराये के संबंध में यह बोली प्रस्तुत करता हूं/करते हैं।

दिनांक : .....

स्थान : .....

**भवदीय**

बोली प्रस्तुतकर्ता/प्राधिकृत हस्ताक्षरकर्ता के हस्ताक्षर  
बोली प्रस्तुतकर्ता/प्राधिकृत हस्ताक्षरकर्ता के हस्ताक्षर  
यदि बोली कम्पनी/संस्था/किसी अन्य संविधान :  
के अंतर्गत पंजीकृत इकाई द्वारा प्रस्तुत की जा रही  
हो उसकी मुद्रा (सील) लगाई जाए

dk; kly; Xokfy; j fodkl i kf/kdj.k ]Xokfy; j %e0i 0%

माधव प्लाजा कॉमर्शियल कॉम्प्लेक्स, हुजरात रोड ग्वालियर

क्रिया निधिनिण हेतु पत्रक वर्ष 2017-18

f}rh; &ry					
l-dz	nplku dz	dkj i v , fj ; k oxl eh- e	vklDI v eiv ; o"kl 2017&18 dh dyDVj xkbM ykblu vuq kj	okf"kd fdjk; k	ekfl d fdjk; k
1	SS-05	78.8	6861274	463136	38595
2	S-02	21.58	1879123	126841	10570
3	S-158	21.12	1839396	124159	10347
4	S-156	21.86	1903067	128457	10705
5	S-159	20.7	1802935	121698	10142
6	S-29	14.3	1245674	84083	7007
7	S-21	14.26	1241864	83826	6985
8	S-13	21.4	1863885	125812	10484
9	S-10	21.13	1839940	124196	10350
10	S-11	21.39	1862252	125702	10475
11	S-14	21.27	1851913	125004	10417
12	S-08	21.16	1842661	124380	10365
13	S-32	13.88	1208124	81548	6796
14	S-12	21.35	1858987	125482	10457
15	S-01	21.54	1875857	126620	10552
16	SS-02	52.33	4556587	307570	25631
17	SS-04	46.61	4058644	273958	22830
18	SA-01	154.83	13481467	909999	75833
19	S-09	21.56	1877490	126731	10561
20	S-27	14.36	1250572	84414	7034
21	S-33	13.86	1206491	81438	6787